6395

न्यायालय :- कुटुम्ब न्यायालय इन्दौर (म.प्र.)

1. क्रं. 1097/18

पेशी ता./नि. ता. 2-12-19

प्रतिलिपि.......

FAMILY COURT INDORE

Order Sheet MJC. 1092/12

02—12—19 पक्षकार पूर्ववत।

इस आदेश के द्वारा आवेदिका के अंतरिम भरणपोषण के आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका कमांक—1 अनावेदक की पत्नि व दोनों के संसर्ग से दो संतानें आवेदक कमांक 2 व 3 है जो कि आवेदिका के पास निवास कर रहे हैं।

आवेदिका ने अंतरिम भरणपोषण के आवेदन व तर्क में बताया है कि उसने विभिन्न आधारों पर धारा 125 दंप्रसं के तहत प्रकरण पेश किया है जिसके निराकरण में समय लगेगा। अनावेदक की प्रताडनाओं के कारण वह पर्याप्त कारण से पृथक निवास कर रही है। उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है, अपना व अवयस्क संतान का भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है। माता पिता पर आश्रित है। अनावेदक की लांड्री की दुकान गणेशनगर में है जिससे 35 हजार रूपये प्रतिमाह की आय होती है। अतएव आवेदिका को उसके स्वयं व अवयस्क संतानों के लिये कुल 16 हजार रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरणपोषण व्यय दिलाया जाए।

अनावेदक ने आवेदन का जवाब पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोडकर जवाब व तर्क में बताया है कि आवेदिका ने असत्य आधारों पर यह प्रकरण पेश किया है। आवेदिका सिलाई कढाई का कार्य एवं बंगलों पर नौकरी का कार्य करके प्रतिमाह 15 से 20 हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेती है, अपना वह भरणपोषण करने में सक्षम है। अनावेदक प्रेस करने का कार्य मजदूरी के रूप में करता था। वर्तमान में उसका उक्त कार्य भी बंद हो गया है । आवेदिका ने असत्य आधारों

2 रु. COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
2 रु. COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

पर याचिका पेश की है जो निरस्त की जावे।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आवेदिका कोई अंतरिम भरणपोषण व्यय प्राप्त करने की अधिकारी है?

दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं, उनका निराकरण साक्ष्य के उपरांत गुणदोषों पर होगा, उनके संबंध में इस स्टेज पर कोई मत व्यक्त करना उचित नहीं है।

आवेदिका की आय बावत कोई दस्तावेज नहीं है। अनावेदक इस आधार पर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उसकी कोई आय नही है या कि पर्याप्त आय नहीं है। अनावेदक का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नि का अपनी हैसियत व जीवन स्तर के अनुसार भरणपोषण करें। अनावेदक ने मजदूरी करना स्वीकार किया है। अनावेदक कीकृषि से अन्य स्रोतों से आय बावत कोई दसतावेज नहीं है। अनावेदक कमाने में सक्षम है ऐसी दशा में अनावेदक की एक कुशल मजदूर के रूप में मजदूरी से आय अर्जन करने की क्षमता व दोनों पक्षों के जीवन स्तर, को देखते हुए आवेदिक कंमांक–1 को 2500/–रूपये, आवेदक कमांक–2 को 1500/–रूपये व आवेदक कमांक–3 को 1000/–रूपये प्रतिमाह इस प्रकार कुल 5000/–रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरणोषण व्यय दिलाये जाना उचित पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अनावेदक आज आदेश दिनांक से आवेदिका को उसके स्वयं व अवयस्क संतान के लिये कुल 5000/–रूपये (पांच हजार रूपये) प्रतिमाह अंतरिम भरणपोषण व्यय अदा करेगा। यदि किसी अन्य प्रावधान के तहत आवेदिका अनावेदक से अपने स्वयं व अवयस्क संतान के लिये कोई राशि प्राप्त करती है तो वह समायोजन योग्य रहेगी। आवेदिका अनावेदक को बैंक पासबुक की छाया प्रति उपलब्ध करायेगी ताकि वह उसमें राशि जमा करा सके। राशि केवल बैंक खाते में जमा करने के माध्यम से ही देय होगी। इस

पर याचिका पेश की है जो निरस्त की जावे।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आवेदिका कोई अंतरिम भरणपोषण व्यय प्राप्त करने की अधिकारी है?

दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाये गये हैं, उनका निराकरण साक्ष्य के उपरांत गुणदोषों पर होगा, उनके संबंध में इस स्टेज पर कोई मत व्यक्त करना उचित नहीं है।

आवेदिका की आय बावत कोई दस्तावेज नहीं है। अनावेदक इस आधार पर अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि उसकी कोई आय नही है या कि पर्याप्त आय नहीं है। अनावेदक का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नि का अपनी हैसियत व जीवन स्तर के अनुसार भरणपोषण करें। अनावेदक ने मजदूरी करना स्वीकार किया है। अनावेदक कीकृषि से अन्य स्रोतों से आय बावत कोई दसतावेज नहीं है। अनावेदक कमाने में सक्षम है ऐसी दशा में अनावेदक की एक कुशल मजदूर के रूप में मजदूरी से आय अर्जन करने की क्षमता व दोनों पक्षों के जीवन स्तर, को देखते हुए आवेदिक कमांक–1 को 2500/–रूपये, आवेदक कमांक–2 को 1500/–रूपये व आवेदक कमांक–3 को 1000/–रूपये प्रतिमाह इस प्रकार कुल 5000/–रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरणोषण व्यय दिलाये जाना उचित पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अनावेदक आज आदेश दिनांक से आवेदिका को उसके स्वयं व अवयस्क संतान के लिये कुल 5000/–रूपये (पांच हजार रूपये) प्रतिमाह अंतरिम भरणपोषण व्यय अदा करेगा। यदि किसी अन्य प्रावधान के तहत आवेदिका अनावेदक से अपने स्वयं व अवयस्क संतान के लिये कोई राशि प्राप्त करती है तो वह समायोजन योग्य रहेगी। आवेदिका अनावेदक को बैंक पासबुक की छाया प्रति उपलब्ध करायेगी ताकि वह उसमें राशि जमा करा सके। राशि केवल बैंक खाते में जमा करने के माध्यम से ही देय होगी। इस

1 क्र. 6395
न्यायालय :- कुटुम्ब न्यायालय
इन्दौर (म.प्र.)
1. क्रं. 1092/18
पेशी ता./नि. ता. 2-12-19
प्रतिलिपि ...

FAMILY COURT INDORE

Order Sheet   MJC. 1092/18

02–12–19 पक्षकार पूर्ववत।

इस आदेश के द्वारा आवेदिका के अंतरिम भरणपोषण के आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।

प्रकरण में यह स्वीकृत है कि आवेदिका कमांक–1 अनावेदक की पत्नि व दोनों के संसर्ग से दो संतानें आवेदक कमांक 2 व 3 है जो कि आवेदिका के पास निवास कर रहे हैं।

आवेदिका ने अंतरिम भरणपोषण के आवेदन व तर्क में बताया है कि उसने विभिन्न आधारों पर धारा 125 दंप्रसं के तहत प्रकरण पेश किया है जिसके निराकरण में समय लगेगा। अनावेदक की प्रताडनाओं के कारण वह पर्याप्त कारण से पृथक निवास कर रही है। उसकी आय का कोई स्रोत नहीं है, अपना व अवयस्क संतान का भरणपोषण करने में सक्षम नहीं है। माता पिता पर आश्रित है। अनावेदक की लांड्री की दुकान गणेशनगर में है जिससे 35 हजार रूपये प्रतिमाह की आय होती है। अतएव आवेदिका को उसके स्वयं व अवयस्क संतानों के लिये कुल 16 हजार रूपये प्रतिमाह अंतरिम भरणपोषण व्यय दिलाया जाए।

अनावेदक ने आवेदन का जवाब पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोडकर जवाब व तर्क में बताया है कि आवेदिका ने असत्य आधारों पर यह प्रकरण पेश किया है। आवेदिका सिलाई कढाई का कार्य एवं बंगलों पर नौकरी का कार्य करके प्रतिमाह 15 से 20 हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेती है, अपना वह भरणपोषण करने में सक्षम है। अनावेदक प्रेस करने का कार्य मजदूरी के रूप में करता था। वर्तमान में उसका उक्त कार्य भी बंद हो गया है । आवेदिका ने असत्य आधारों

COURT FEE INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

Order Sheet. MJC 1092/18

आदेश का प्रकरण के गुणदोषों पर निराकरण के समय कोई प्रभाव नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदिका प्रकरण के निराकरण में विलंब कारित करती है तो आदेश निरस्ती पर विचार किया जा सकेगा। तदनुसार आवेदन का निराकरण किया जाता है।

प्रकरण आवेदिका साक्ष्य जवाब हेतु दिनांक 27.11.20 को पेश हो।

(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान न्यायाधीश,
कु0न्यायालय इंदौर म0प्र0

सत्य-प्रतिलिपी
प्रधान लिपिक-प्रतिलिपी विभाग
कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर (म.प्र.)
धारा 76 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत

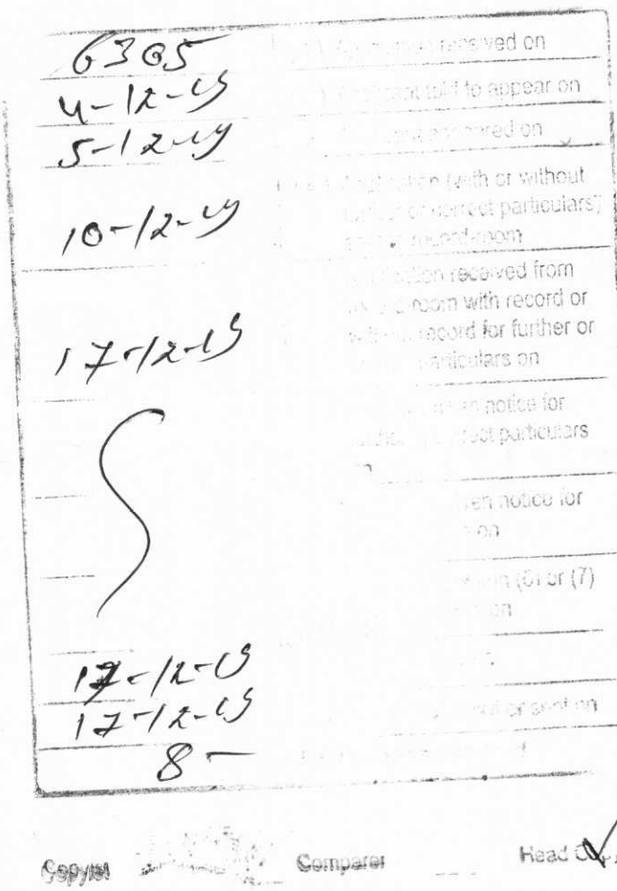

6305	[illegible] received on
4-12-49	[illegible] told to appear on
5-12-49	[illegible]ed on
10-12-49	[illegible] (with or without [illegible] correct particulars) [illegible] record-room
17-12-49	[illegible] received from [illegible] room with record or without record for further or [illegible] particulars on
	[illegible] notice for [illegible] correct particulars [illegible]
	[illegible] notice for [illegible] on
	[illegible] (6) or (7) [illegible] on
17-12-49	[illegible]
17-12-49	[illegible] or sent on
8-	[illegible]

Copyist [illegible] Comparer Read Copy is